सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं . NCST/ATY-1790/DL/1/2024-APCR दिनांक : 16.12.2024

सेवा मे,

श्री संजय अरोरा
पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: दिल्ली स्थित जमीन पर अवैध कब्जा, धमकी, जातिसूचक अभद्रता एवं पुलिस द्वारा कार्यवाही ना किया जाने हेतु श्रीमती लीला देवी, पत्नी श्री लाला राम मीना, उत्तम नगर, दिल्ली का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई/ की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(एच.आर. मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमति लीला देवी,
बी-10 रोड़ सं.10 यादव एन्क्लेव,
विकास नगर, उत्तम नगर
पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली -110059
मो नं .9868491472

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-1790/DL/1/2024-APCR

श्रीमति लीला देवी पत्नी श्री लाला राम मीना, उत्तम नगर, दिल्ली के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि : 29.11.2024, 11:30 A.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट- क

श्रीमति लीला देवी पत्नी श्री लाला राम मीना से दिनांक 24,07.2024 की शिकायत आयोग में प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने बताया कि वह बी-10, गली नं-10 यादव एन्क्लेव, विकास नगर, उत्तम नगर, दिल्ली में रहती है इसी क्षेत्र में गली नंबर 9 में श्री रहीसुल निशा उर्फ शब्बो उनके पति श्री जुबेर अहमद और उनके बेटे श्री इरफान रहते है। उनको वहीं के कुछ लोगों द्वारा स्वयं के जमीन पर निर्माण करने से रोका जा रहा है, जाति सूचक गाली गलौज किया जा रहा है तथा उनको धमकी भी दिया जा रहा है कि कहीं भी शिकायत कर लो कुछ भी नहीं हो सकता है।

2. आयोग द्वारा इस मामले में पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को दिनांक 08.08.2024 को नोटिस भेजा गया था और 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी।

3. मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ तत्पश्चात आयोग द्वारा इस मामले में दिनांक 29.11.2024 को सुनवाई निश्चित की गई तदनुसार और पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को आयोग में आने हेतु नोटिस जारी किये गया ।

4. मामले में आयोग द्वारा 29.11.2024 को सुनवाई की गई । प्रकरण की सुनवाई में अतिरिक्त उपपुलिस आयुक्त, बाहरी दिल्ली तथा ए.सी.पी. ने प्रकरण के तथ्यों को प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता श्रीमति लीला देवी तथा उनके पति एवं जमीन से संबंधित लोग सुनवाई में उपस्थित हुए और उन्होंने जमीन के संदर्भ में कई जानकारियां आयोग को दी।

Contd... P/2

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

1. सुनवाई के दौरान आवेदक ने बताया कि अप्रार्थी अपराधिक प्रवृत्ति के लोग है जिनसे उनको जानमाल का खतरा है अतः पुलिस प्रशासन उनके उपर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करेंगे तथा उनका समस्त व्यौरा आयोग को प्रेषित करेंगें।
2. पुलिस ने बताया कि सम्पत्ति के मामले में एफ. एस. एल. से अगूठे के हस्ताक्षर की रिपोर्ट आ गई है जिसमें वह निशान फर्जी पाया गया तथा अब उन्हें हस्ताक्षर को प्रमाणित कराने है अतः आयोग के कार्यवृत्त के आधार पर एफ. एस. एल को पत्र लिखकर 15 दिवस में प्राप्त करे।
3. भूमि की चैन व् मालिकाना हक़ हेतु सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित करवाके प्रार्थी के हितों की रक्षा की जाए।
4. आवेदक के साथ उपस्थित अन्य 2 गवाहो का बयान लिखकर एवं सभी उपर्णित बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही कर रिपोर्ट 30 दिवस में आयोग को भेजी जाए।
5. पुलिस विभाग इस बात को सुनिश्चित करें की आगे कभी उस इलाके में आवेदक व् उसके परिवार के साथ इस तरह की घटना की पुनरावृति न हो।
6. इस मामले में पुलिस पदाधिकारी व आवेदक से तथ्य सुनने के बाद आयोग ने यह पाया कि अप्रार्थी की उपवर्णित विवादित भूमि से कोई भी सम्बन्ध नहीं है अतः एस.सी/ एस.टी अधिनियम के तहत अप्रार्थियों के खिलाफ आवेदन पर मामला दर्ज कर निष्पक्ष कार्यवाही करें।

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिन के समयाविधि में आयोग को प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
13/12/2024

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribe
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-1790/DL/1/2024-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vivekanand Shukla
Investigator

Shri Rahul Yadav
Legal Consultant

Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police

Shri Amit Verma
Addl. DCP-1, Outer District

Shri Jaipal Singh
ACP/Nangloi

Shri Sandeep
Inspector

Petitioners

Smt. Leela Devi

Shri Nitin Panwanda